।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 03/24 दायरा दिनांक 19.06.2024

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

1–शान्ती पुत्री भैरूलाल जाति लुहार (खाती) निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

2–आलमचन्द पुत्र प्रेमचन्द जाति लुहार निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

3–ओमप्रकाश पुत्र प्रेमचन्द जाति लुहार निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

4–इन्दिराबाई पुत्री प्रेमचन्द जाति लुहार निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

5–मांगीबाई पत्नि प्रेमचन्द जाति लुहार निवासी ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

6–सोरमसिंह पुत्र राधेश्याम जाति अहेडी निवासी जखोनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

7–महेन्द्रकुमार पुत्र प्रकाशचन्द जाति धाकड निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राजस्थान

8–गुरमीतकौर पत्नि राजमनजीत जाति जट सिक्ख निवासी सुखवंत पेलेस रोड पुरानी आबादी गंगानगर तहसील व जिला गंगानगर राजस्थान

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहाबाद जिला–बारां राजस्थान

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक – 19.06.2025

उपस्थित–
प्रार्थीगण की ओर से – श्री अरविन्द शर्मा एडवोकेट
अप्रार्थी की ओर से – पेरोकार सरकार

प्रार्थनापत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बांसखेडामाल पटवार हल्का गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान में आराजी ख0नं0 235/548 रकबा 10.00 बीघा कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी कम 1 ता 5 के नाम संयुक्त खाता दर्ज है, जिसे आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त विवादित आराजी ग्राम बांसखेडामाल में एन.एच. कमांक 27 के लगवां स्थित रही है और इसी अनुसार प्रार्थी कम [illegible] काबिज काश्त हैं जिसकी नक्शा रिकार्ड में तरमीम थी परन्तु तत्कालीन हल्का [illegible] कुमार जांगिड ने राजस्व रिकार्ड नक्शे में प्रार्थी कम 1 ता 5 की खातेशुदा [illegible] ख0नं0 235/548 के मध्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

एक खडी लाइन डाल दी तथा पूरब से पश्चिम दो जगह आढी लाइन खींच दी जिससे प्रार्थीगण का ख0नं0 235/548 नक्शे में तीन भागों में विभक्त प्रतीत हो रहा है और इसे लेकर भविष्य में विवाद होने की आशंका है। इस कारण प्रार्थीगण ख0नं0 235/548 नक्शे में हल्का पटवारी द्वारा डाली गई एक खडी तथा दोनो आढी लाइनो को हटवाकर नक्शा दुरूस्त कराने के हकदार हैं। प्रार्थी क्रम 2 ता 5 ने विवादित आराजी में से अपने हिस्से का विक्रय प्रार्थी क्रम 6 ता 8 के हक में कर विक्रयपत्र पंजीयन करा दिया है, जिसका नामान्तरण अभी दर्ज नहीं हुआ है, इस कारण प्रार्थीक्रम 2 ता 8 को प्रार्थनापत्र में पक्षकार बनाया गया है। विवादित आराजी श्रीमान न्यायालय के क्षेत्रान्तर्गत स्थित होने से प्रार्थनापत्र का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है।

प्रार्थनापत्र उचित एवं निर्धारित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 235/548 रकबा 10.00 बीघा ग्राम बांसखेडामाल पटवार क्षेत्र गदरेटा तहसील शाहाबाद राजस्व रिकार्ड नक्शे में डाली गई एक खडी लाइन तथा पूरब से पश्चिम डाली गई दोनो आढी लाइनो को हटाकर नक्शा दुरूस्त करने के सादर आदेश पारित फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण ने विवादित आराजी ख0नं0 235/548 रकबा 10.00 बीघा ग्राम बांसखेडामाल को एन.एच. 27 के लगवां स्थित होना बताते हुये विवादित आराजी ख0नं0 235/548 की तरमीम पूर्व से एन.एच. 27 के लगवां होने का कथन किया है, प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि ततकालीन हल्का पटवारी विनोद कुमार जांगिड ने नक्शे में एन.एच. से एक खडी लाइन तथा पूरब से पश्चिम दो जगह आढी लाइन खीच दी जिससें ख0नं0 235/548 तीन भागों में विभक्त हो गया है जो विवाद का कारण बन गया है। इस कारण नक्शा दुरूस्तनीय है।

इस संदर्भ में संलग्न पत्रावली प्रमाणित प्रति नक्शा किश्तवार मोजा बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद जिला कोटा राज0 सम्वत 2013 से स्पष्ट प्रमाणित है कि मूल ख0नं0 235 में से ख0नं0 235/1 रकबा 11.14 बीघा गै.मु., ख0नं0 235/554 रकबा 5.00 बीघा बहक खैमू बाबरिया आदि, 235/548 रकबा 10.00 बीघा विवादित आराजी तथा ख0नं0 235 रकबा 5.00 बीघा बंजड की स्पष्ट तरमीम अंकित है। बाद में ख0नं0 235 रकबा 5.00 बीघा बंजड में से रकबा 0.15 बीघा एन.एच. निर्माण में उपयोग होने से 4.05 बीघा रकबा शेष रहा है, जो वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 1 में वहक खाता सरकार दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल नक्शा दिनांक 04.06.24 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ख0नं0 235/548 के खातेदार को एन.एच. के लगवां लाने के लिये हल्का पटवारी ने राजस्व रिकार्ड नक्शे में एन.एच. के लगवां भी ख0नं0 235/548 डबल से अंकित बताते हुये ए से बी तथा सी से डी आढी लाइन डाल दी है, जो पुराने तथा मूल किश्तवार नक्शे के विपरीत होना पाई जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

19.06.2025

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश है कि ग्राम बांसखेडामाल तहसील शाहाबाद के राजस्व रिकार्ड नक्शे में एन.एच. के लगवां ख0नं0 235/548 के डबल से किये गये गलत अंकन को तथा ए से बी खडी व सी से डी आढी लाइन को हटाया जाकर नक्शा दुरूस्त किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति मय नक्शा दिनांक 04.06.24 तथा किश्तवार नक्शा की प्रति सहित दुरूस्ती हेतु प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

19.06.2025

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Chandra Meena
Date: 2025.08.19 11:35:08 IST
Reason: SelfAttested

CamScanner